

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1 जिला प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर (चौकी एस.आई.डब्ल्यू.) वर्ष 2022

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या.....08/2022 दिनांक.....12/1/22

2. (I) अधिनियम ... धारायें:- धारा 7 पी0सी0 (संशोधन) एक्ट 2018

(II) अधिनियम धारायें

(III) अधिनियम धारायें

(IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या298 समय4.50 PM.

(ब) अपराध घटने का वार.....सोमवार.....दिनांक 10.01.2022 समय 2.55 पी.एम.

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 06.01.2022

4. सूचना की किस्म :- लिखित/मौखिक- लिखित

5. घटनारथल :- रेल्वे सुरक्षा बल चौकी कनकपुरा जयपुर

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:- बजानिब उत्तर दिशा में करीब 20 कि0मी0

(ब) पता..... रेल्वे सुरक्षा बल चौकी कनकपुरा जयपुर।

.....बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थानाजिला

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :-

(अ) नाम:- श्री विकेश सिंह चौहान

(ब) पिता/पति का नाम:- श्री मलखान सिंह

(स) जन्म तिथी/वर्ष वर्ष.....उम्र 38 साल.....

(द) राष्ट्रीयता:- भारतीय

(य) पासपोर्ट संख्या:- जारी होने की तिथिजारी होने की जगह

(र) व्यवसाय:- ठेकेदारी

(ल) पता:- ग्राम सिहाली कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :-

श्री सुनील कुमार पुत्र श्री होशियार सिंह, जाति जाट, उम्र 37 साल, निवासी ग्राम पोस्ट कांकडी कलां तहसील मल्लिसर जिला झुन्झुनू हाल निवासी प्लॉट नं0 1098 फोर सी मावेडा नीयर गुडविल स्कूल लोहामण्डी जयपुर, हाल उप निरीक्षक रेल्वे सुरक्षा बल चौकी कनकपुरा, उत्तर पश्चिम रेल्वे जयपुर।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)

रिश्वती राशि 5000/- रुपये

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य रिश्वती राशि 5000/-

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :-

दिनांक 06.01.2022 को अति0 पुलिस अधीक्षक एसआईडब्ल्यू भ्र नि ब्यूरो जयपुर ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उनके पास बैठे हुये व्यक्ति श्री विकेश चौहान पुत्र श्री मलखान सिंह, निवासी सिहाली कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर से परिवादी के रूप में परिवय करवाते हुए, परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मेरे नाम पृष्ठांकित करते हुए अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये, जिसपर मन उप अधीक्षक पुलिस परिवादी श्री विकेश चौहान को साथ लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आया तथा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसआईडब्ल्यू एसीबी जयपुर राजस्थान को संबोधित किया गया है। मजिद दरियाफ्त पर परिवादी श्री विकेश चौहान ने बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरे स्वयं द्वारा हस्तलिखित है व मेरे हस्ताक्षर किये हुए हैं तथा इसमें अंकित तथ्य सही है। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि मैं विकेश चौहान पुत्र श्री मलखान सिंह, निवासी सिहाली कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर का रहने वाला हूं एवं रेल्वे के शिव आकृति कम्पनी को सिग्नल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, मैं शिव आकृति कम्पनी का पेटी कॉन्ट्रैक्टर हूं। वर्तमान में शिव आकृति कम्पनी के बिहाफ पर सिग्नल की केबिल डालने का काम बिन्दायका से धान्यका की तरफ कर रहा हूं मैं दिनांक 28.11.2021 से कार्य कर रहा हूं दिनांक 22.12.2021 को नाली में दबी हुई और कुछ केबल ड्रम में रखी हुई चौरी हो गई थी। मैंने कम्पनी को इसकी सूचना भी दे दी थी पर उन्होंने किसी को भी बताने के लिए मना कर दिया था। उसके बाद मैं लगातार कार्य करता रहा। उसके बाद दिनांक 30.12.2021 को फिर दो बार चौरी हो गई तो मैंने कम्पनी को बताया तो भी उन्होंने किसी को बताने के लिए मना कर दिया पर मैं खुद चलाकर आरपीएफ में रिपोर्ट कराने चला गया, उन्होंने अगले दिन का नाम लेकर मुझे वापस भेज दिया कि हम खुद जगह पर आएंगे उससे दो दिन बाद मेरे से आगे कर रहे दुसरे ठेकेदार कि भी केबल चौरी हो गई तो कम्पनी और रेल्वे के अधिकारी और हम दोनों को बुलाकर एफआईआर करवाने गए तो आरपीएफ पुलिस ने हम ठेकेदारों को ही बोला कि तुमने ही चोरी करवाई है। कम्पनी और रेल्वे के अधिकारियों ने उक्त एफआईआर दर्ज कराई। इसके पश्चात आरपीएफ कनकपुरा के सब इन्सपेक्टर सुनिल

कुमार एवं फुलेरा आरपीएफ सीआई मैडम उन्होंने हमें फोन करके कनकपुरा आरपीएफ चौकी के कान्स्टेबल बिमलेश कुमार के जरिये बुलाया एवं हमीं पर चौरी का आरोप लगाते हुए मुझे एवं दूसरे ठेकेदार प्रकाश को हवालात में बन्द कर दिया। दिनांक 03.01.2022 को रात के 10.00 बजे हमें धमकी देकर छोड़ दिया। दिनांक 04.01.2022 को हमें फिर 2.00 बजे कॉल करके बुलाया हमारे पहुंचने पर हमें फिर से हवालात में डाल दिया, हमसे छोड़ने के लिए रिश्वत मांगी गई। सीआई मैडम व आरपीएफ कनकपुरा के सब इंस्पेक्टर सुनिल कुमार ने हमसे उक्त प्रकरण में कार्यवाही करने हेतु खर्चापानी की मांग की गई एवं हमारे सहमति देने पर ही हमें हवालात से निकाला गया एवं एक दो दिन में आकर पैसा देने को कहा अन्यथा हमें ही चौरी के आरोप में बन्द करने की धमकी दी गई। मैं सीआई मैडम एवं बिमलेश, सब इंस्पेक्टर सुनिल कुमार को रिश्वत नहीं देकर रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं उक्त तीनों से मेरी किसी प्रकार की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है एवं किसी भी प्रकार का पुराना लेन देन का कोई मामला नहीं है। रिपोर्ट करता हूं कानूनी कार्यवाही की जावे। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया गया। रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु दिनांक 06.01.2022 को कार्यालय के श्री मनोज कुमार कानि 65 का परिवादी से आपस में परिचय करवाकर उन्हें कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर उपलब्ध करवाया गया तथा आवश्यक हिदायत दी जाकर गोपनीय मांग सत्यापन हेतु रवाना किया गया। तत्पश्चात 3.45 पीएम पर परिवादी एवं श्री मनोज कुमार कानि 65 कार्यालय में उपस्थित आये। श्री मनोज कुमार कानि 65 ने उसको पूर्व में सुपुर्द किया गया डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश कर अवगत करवाया कि मैं और परिवादी श्री विकेश सिंह चौहान कार्यालय से रवाना होकर कनकपुरा स्थित आरपीएफ चौकी के पास पहुंचे, जहां पर परिवादी के वार्ता हेतु संदिग्ध के पास जाने से पूर्व मैंने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को दिया था। परिवादी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर लेकर संदिग्ध के पास वार्ता हेतु गया था तथा परिवादी ने संदिग्ध के साथ हुई वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया तथा बाद वार्ता रिकॉर्डर मुझे लाके दिया था जिसे मैंने बन्द किया था। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से पूछने पर परिवादी ने श्री मनोज सैन कानि 65 की बातों की ताईद करते हुए अवगत कराया कि कार्यालय से रवाना होकर मैं व श्री मनोज सैन कनकपुरा स्थित आरपीएफ चौकी के पास पहुंचे जहां पर श्री मनोज सैन ने मुझे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू करके सुपुर्द किया था। उसके बाद मैं संदिग्ध के आरपीएफ चौकी में गया तो संदिग्ध श्री सुनिल कुमार सब इंस्पेक्टर मुझे वहां पर मौजूद मिला वहां पर मेरी संदिग्ध आरोपी से मेरे प्रकरण के बारे में वार्ता हुई तो संदिग्ध आरोपी ने मुझसे चौरों को गिरफ्तार करने एवं हम दोनों ठेकेदारों को उक्त प्रकरण से निकालने की एवज में 20,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग की है। मैंने मौके पर सुनील कुमार उप निरीक्षक को 5000 रुपये की रिश्वती राशि मेरे पास से दे दी है नहीं तो आरोपी मुझे हवालात में पुनः बन्द कर सकता था। मेरे और संदिग्ध के मध्य हुई रिश्वत मांग सम्बंधी वार्ता मैंने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की है। तत्पश्चात डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से जोड़कर सुना गया तो संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत की मांग करना सत्यापित हुआ। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को सुरक्षित मेरी आलमारी में रखा गया। तथा परिवादी श्री विकेश सिंह चौहान को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर अविलम्ब मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष कार्यालय में उपस्थित होने व गोपनीयता बनाये रखने एवं अन्य हिदायत कर रवाना किया गया।

दिनांक 07.01.2022 को परिवादी से जरिये फोन सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने के लिए कहा गया तो परिवादी ने अवगत करवाया कि अभी मुझे आवश्यक कार्य है इसलिए मैं दिनांक 10.01.2022 को प्रातः आपके समक्ष कार्यालय में उपस्थित हो जाऊंगा। इसपर परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने एवं रिश्वत राशि सहित दिनांक 10.01.2022 को प्रातः 10.00 बजे कार्यालय में मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित होने हेतु कहा गया। तत्पश्चात गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह पाबन्द किये गये। दिनांक 10.01.2022 को प्रातः परिवादी श्री विकेश सिंह चौहान व स्वतंत्र गवाहान श्री राकेश कुमार व श्री भूपेन्द्र वर्मा के उपस्थित आने पर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया। स्वतंत्र गवाहान को गोपनीय कार्यवाही बाबत अवगत कराया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढ़ाया जाकर प्रार्थना पत्र पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी ने अवगत करवाया कि आरोपी श्री सुनिल कुमार उप निरीक्षक ने हम दो ठेकेदारों से 10-10 हजार रुपये मांगे थे, जिसमें से दिनांक 06.01.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय मेरे से 5 हजार रुपये ले लिए थे। तथा दूसरा ठेकेदार अपने हिस्से के 10 हजार रुपये आरोपी को दे आया है इसकी मुझे बाद में जानकारी हुई। इस तरह अब मुझे केवल मेरे हिस्से के बचे 5 हजार ही देने हैं। उसके बाद परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को कम्प्यूटर की सहायता से सुनाया जाकर हस्वकायदा वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन मुर्तिब की गई। तथा कम्प्यूटर की सहायता से तीन सीडियां तैयार की जाकर, दो सीडियों को शील्ड मोहर किया गया तथा एक सीडी को अनुसंधान हेतु खुली रखा गया व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड को निकलवाकर शील्ड मोहर किया गया। फर्द ट्रांसक्रिप्ट व सीडियों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात दोपहर 12.00 बजे स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री विकेश सिंह चौहान को संदिग्ध आरोपी श्री सुनिल कुमार उप निरीक्षक को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिए कहा, जिस पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रुपये के 10 भारतीय मुद्रा के नोट कुल राशि 5000/-रुपये निकाल कर, गवाहान के समक्ष मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये। उक्त नोटों के नम्बर फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोपथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट में अंकित किये गये। उपरोक्त सभी 500-500 रुपये के भारतीय मुद्रा के नोटों कुल राशि 5000/-रुपये पर फिनोपथलीन पाउडर लगवाने हेतु श्री कल्याण सहाय कानि नं. 383 से कार्यालय हाजा की आलमारी से फिनोपथलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर एक अखबार पर फिनोपथलीन पाउडर डलवाकर उक्त सभी नोटों पर लगवाया गया तथा परिवादी श्री विकेश सिंह चौहान की जामा तलाशी

गवाह श्री भूपेन्द्र वर्मा से लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल के सिवाय अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई तत्पश्चात् फिनोपथलीन पाउडर लगे उक्त 5000/-रु० के नोट सीधे ही श्री कल्याण सहाय कानि. से परिवादी श्री विकेश सिंह चौहान की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी साईड की जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुवे व संदिग्ध आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त नोट जेब से निकालकर उसे रिश्वत के रूप में देवे। आरोपी द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात् अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मुझ उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल कर मुझे व ट्रेप पार्टी को ईशारा करे। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर रिश्वत के लेन-देन को देखने व दोनों के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके बाद एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला, उक्त घोल में श्री कल्याण सहाय कानि जिसने नोटों पर फिनोपथलीन पाउडर लगाया था, के फिनोपथलीन पाउडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे गवाहान व परिवादी को दिखाकर समझाईश की गई कि अगर आरोपी इन नोटों को अपने हाथों से छुयेगा तो उसके हाथ इसी विधि से धुलवाने पर धोवन का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोपथलीन पाउडर की शीशी वापस श्री कल्याण सहाय कानि से कार्यालय की आलमारी में रखवायी जाकर अखबार जिस पर नोटों को रख कर फिनोपथलीन पाउडर लगवाया गया था, उक्त अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा गुलाबी घोल को बाहर फिकवाकर श्री कल्याण सहाय कानि के हाथों व गिलास को साबुन पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाया गया। गवाहान व जाप्ता की एक दूसरे से आपसी जामा तलाशी लिवाई जाकर किसी के पास कोई आपत्तीजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली शीशीयां, गिलास, चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाये गये एवं ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाये गये। श्री कल्याण सहाय कानि. 383 को कार्यालय में ही रहने की हिदायत कर यहीं छोड़ा गया। रिश्वत लेन-देन के समय संदिग्ध आरोपी से होने वाली बातचीत को रिकार्ड करने हेतु कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी को उसे चालू व बन्द करने (ऑपरेट करने) की विधि समझाई गई व रिश्वत लेनदेन के वक्त आरोपी से आपस में होने वाली वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके पेश करने के निर्देश दिये गये तथा उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर श्री मनोज सैन कानि. 65 को सुपूर्द कर हिदायत की गई कि परिवादी जब संदिग्ध आरोपी के पास जाये उससे पूर्व डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू करके परिवादी को सुपूर्द करें। उक्त की फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोपथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पृथक से तैयार की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात दोपहर 1.30 बजे मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी, ट्रेप पार्टी सदस्य मय ट्रेप बाक्स, लैपटाप व प्रिन्टर एवं अन्य आवश्यक सामग्री सहित वास्ते गोपनीय कार्यवाही सरकारी/निजी वाहनों से रवाना होकर दोपहर करीब 2.45 बजे आरोपी के कार्य स्थल रेल्वे सुरक्षा बल चौकी कनकपुरा जयपुर के पास पहुंचे, जहां मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा वाहनों को साईड में खड़े करवाकर स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता को गाड़ी से नीचे उतरवाकर, उक्त चौकी के आस-पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुये खड़े रहने की हिदायत देते हुये परिवादी को संदिग्ध आरोपी के पास जाने हेतु रवाना कर ट्रेप हेतु जाल बिछाया। उसी वक्त श्री मनोज कानि. 65 ने अवगत करवाया कि मैंने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को दे दिया है।

उसके बाद दोपहर 2.55 बजे परिवादी श्री विकेश सिंह चौहान ने रेल्वे सुरक्षा बल चौकी उत्तर पश्चिम रेल्वे कनकपुरा जयपुर के मेन गेट से बाहर निकलते हुए पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेरने एवं मन उप अधीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल फोन कॉल करने पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय गवाहान तथा जाप्ते को साथ लेकर परिवादी के पास पहुंचे तो परिवादी ने उक्त चौकी के बरामदे से जाते हुए व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए बताया कि ये ही सुनील कुमार उप निरीक्षक हैं। परिवादी के आरोपी की तरफ इशारा करते ही चौकी के बरामदे में खड़ा व्यक्ति अचानक वहां से चौकी के पीछे की तरफ बने गेट की तरफ भागने लगा, उक्त लोहे का गेट बंद था जिसको उक्त व्यक्ति ने धक्का दिया गेट बंद होने से उक्त व्यक्ति गेट से टकराया, जिसको हमराह जाप्ते की मदद से बमुश्किल पकड़ा गया। तत्पश्चात परिवादी ने उसको पूर्व में सुपूर्द किया गया डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पेश किया जिसको मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा बन्द कर सुरक्षित कब्जा लिया गया, परिवादी ने बताया कि यही सुनील कुमार उप निरीक्षक है, जिन्होंने अभी अभी मुझसे केबल चोरी के प्रकरण में मुझे मुल्जिम नहीं बनाने एवं उक्त प्रकरण के असली चौरों को गिरफ्तार करने की एवज में इनकी पूर्व मांगनुसार 20,000 रुपये में से 5000 रुपये रिश्वत के रूप में लिए हैं, इन्होंने मुझसे पैसे सामने चौकी के गेट पर खड़ी इनकी गाड़ी मारुती स्विफ्ट डिजायर आरजे 02 सीई 1391 के दाहिने साईड के आगे वाले दरवाजे की रैक में रखवाये हैं। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय गवाहान व हमराही जाप्ते ने उक्त व्यक्ति को अपना परिचय पत्र दिखाते हुए अपना व दोनों स्वतन्त्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों का परिचय देकर उससे परिचय पूछा तो उसने घबराते हुए अपना नाम श्री सुनील कुमार पुत्र श्री होशियार सिंह, उप निरीक्षक रेल्वे सुरक्षा बल उत्तर पश्चिम रेल्वे चौकी कनकपुरा जयपुर होना बताया। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी की तरफ ईशारा कर आरोपी से पूछा कि आपने अभी-अभी इनसे रुपये लिये हैं तो उसने घबराते हुए बताया कि अभी-अभी ये विकेश सिंह मेरे पास आये थे, मैंने इनसे कोई रुपये नहीं लिए हैं। मैंने विकेश सिंह से किसी प्रकार की रिश्वत की मांग नहीं की थी ना ही रिश्वत ली है। इस पर वहां उपस्थित परिवादी ने आरोपी की बात का खण्डन करते हुए कहा कि रेल्वे की केबल चोरी के प्रकरण में मुझे मुल्जिम नहीं बनाने एवं उक्त प्रकरण के असली चौरों को गिरफ्तार करने की एवज में मुझसे व प्रकाश ठेकेदार से 20 हजार रुपये की मांग की थी, जिसको मैंने आप द्वारा दिये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके भी आपको दिया था। उक्त 20 हजार में मेरे हिस्से के 10 हजार

रुपये में से 5 हजार रुपये रिश्वत मांग सत्यापन के समय ले चुका है तथा इनकी मांगनुसार बाकि के 5 हजार रुपये मैंने आज इनके मांगने पर इनको दिये हैं। इसके पश्चात आरोपी ने पूछने पर बताया कि मेरा नाम सुनील कुमार पुत्र श्री होशियार सिंह, जाति जाट, 37 साल निवासी प्लॉट नं० 1098 फोर सी माचेडा नीयर गुडविल स्कूल लोहामण्डी जयपुर हाल उप निरीक्षक रेल्वे सुरक्षा बल उत्तर पश्चिम रेल्वे चौकी कनकपुरा जयपुर है। तत्पश्चात आरोपी श्री सुनील कुमार को तसल्ली देकर पूछा कि आपने दिनांक 06.01.2022 को परिवारी श्री विकेश सिंह चौहान को चौरी के प्रकरण में आरोपी नहीं बनाने की एवज में 20,000 रुपये मांगे थे, इस पर आरोपी श्री सुनील कुमार चुप हो गया। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी से उसकी गाडी की चाबी प्राप्त की गई व स्वतंत्र गवाह श्री भूपेन्द्र वर्मा से चौकी के गेट पर खड़ी आरोपी की गाडी मारुती स्विफ्ट डिजायर आरजे 02 सीई 1391 को अनलॉक करवाकर तलाशी लिवाई गई तो उक्त गाडी के ड्राइवर सीट वाले, दाहिनी तरफ के आगे वाले दरवाजे की रैक में रखे एक सफेद कागज के उपर 5000 रुपये मिले, जिनको गिनकर दोनों गवाहान ने 500-500 रुपये के 10 नोट, कुल 5000 रु० होना बताया। दोनों स्वतंत्र गवाहान से उक्त सभी नोटों के नम्बरो का मिलान पूर्व फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बरो से करवाने पर हूबहू उसी नम्बर के 5000 रु० के नोट होना पाये गये। बरामद शुदा 5000/-रु० को एक सफेद कागज में सील मोहर करवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया।

तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहान के समक्ष एक बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से एक कांच का गिलास निकाल कर उसको अच्छी तरह साफ करवाकर उसमें पानी भरवाया गया तथा उक्त पानी में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया, घोल रंगहीन रहने पर उस घोल में आरोपी की गाडी मारुती स्विफ्ट डिजायर आरजे 02 सीई 1391 के ड्राइवर सीट वाले, दाहिनी तरफ के आगे वाले दरवाजे की रैक में रखे सफेद कागज जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई उस जगह को एक रूई के फोव्वे की मदद से सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल से धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे दोनों स्वतंत्र गवाहान व श्री सुनील कुमार को दिखाकर धोवन को दो कांच की साफ शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर कपडे व चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क सी-1 व सी-2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। गाडी के दरवाजे की रैक में रखे उक्त सफेद कागज जिसके उपर रिश्वत राशि बरामद हुई उसको निकलवाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क सी-3 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तथा धोवन में प्रयुक्त किये गये रूई के फोव्वे को सुखाया जाकर एक प्लास्टिक की थैली में रखकर उसे एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क-सी अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात आरोपी से परिवारी के प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली व रिकॉर्ड के सम्बन्ध में पूछने पर आरोपी ने बताया कि उक्त परिवार मेरे फोन में है, जयपुर जंक्शन के थाने एवं कंट्रोल से वाट्सएप पर परिवार की पीडीएफ फाईल आई थी मैं उसी के सम्बन्ध में जांच कर रहा था जो मेरे फोन में है। इसके अलावा मेरे पास उक्त प्रकरण से सम्बन्धित कोई हार्ड कॉपी नहीं है। तत्पश्चात आरोपी के मोबाईल फोन से केबल चौरी के सम्बन्ध में उक्त परिवार से सम्बन्धित पीडीएफ फाईल का प्रिन्टआउट लिया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। उसके बाद आरोपी के कार्यालय कमरे की तलाशी ली गई तो आरोपी की ऑफिस टेबल की दराज में अलग-अलग तीन जगह 33550 रुपये बरामद हुए जिसके सम्बन्ध में आरोपी से पूछने पर कोई संतोश जनक जवाब नहीं दिया, इसलिए उक्त 33550 रुपये को जब्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद परिवारी द्वारा पेश किये गये डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को हमराह लैपटाप से जोडकर सुना गया तो उसमें वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई। उक्त समस्त कार्यवाही की फर्द धुलाई व बरामदगी रिश्वती राशि तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

उसके बाद आरोपी श्री सुनील कुमार पुत्र श्री होशियार सिंह, जाति जाट, उम्र 37 साल, निवासी प्लॉट नं० 1098 फोर सी माचेडा नीयर गुडविल स्कूल लोहामण्डी जयपुर, हाल उप निरीक्षक रेल्वे सुरक्षा बल उत्तर पश्चिम रेल्वे चौकी कनकपुरा जयपुर के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम 2018 का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी हस्वकायदा गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। मौके की समस्त कार्यवाही के उपरान्त दिनांक 11.01.2022 को परिवारी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष, परिवारी व आरोपी श्री सुनील कुमार उप निरीक्षक के मध्य वक्त रिश्वत लेनदेन दिनांक 10.01.2022 को हुई वार्ता जो सरकारी डिजिटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड की गई थी उक्त डिजिटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्डशुदा वार्ता को गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय कम्प्यूटर की सहायता से सुना गया तथा नियमानुसार फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की गई। तत्पश्चात वार्ता की सीडी बनवाने हेतु तीन खाली सीडी मंगवायी जाकर तीनों सीडियों को खाली होना सुनिश्चित कर बारी-बारी कम्प्यूटर की सहायता से रिकार्डशुदा वार्ता की तीन अलग-अलग सीडियां तैयार की गई तथा दो सीडियों को सील्ड मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया व एक सीडी को अनुसंधान हेतु खुला रख शामिल पत्रावली किया गया। डिजीटल वाईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड को निकलवाकर सफेद कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। फर्द ट्रांस्क्रिप्ट वक्त रिश्वत लेन देन पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई।

अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री सुनील कुमार उप निरीक्षक रेल्वे सुरक्षा बल चौकी कनकपुरा जयपुर ने लोकसेवक के पद पर रहते हुये, अपने पद का दुरुपयोग कर, भ्रष्ट तरीके से परिवारी श्री विकेश सिंह चौहान को केबिल चौरी के प्रकरण में गिरफ्तारी का भय दिखाकर व गिरफ्तार नहीं करने एवं असल चौरी को गिरफ्तार करने की एवज में मांग सत्यापन दिनांक 06.01.2022 के अनुसार परिवारी से 20,000 रुपये की राशि रिश्वत के तौर पर मांग करने एवं मांग सत्यापन के दौरान उक्त 20 हजार में से 5000 रुपये परिवारी से प्राप्त करने तथा वक्त ट्रेप कार्यवाही दिनांक 10.01.2022 को परिवारी से 5000 हजार


रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करते हुये पकड़े जाने से आरोपी का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी श्री सुनील कुमार पुत्र श्री होशियार सिंह, जाति जाट, उम्र 37 साल, निवासी ग्राम पोस्ट कांकडी कंला तहसील मल्लिसर जिला झुन्झुनू हाल निवासी प्लॉट नं0 1098 फोर सी माचेडा नीयर गुडविल स्कूल लोहामण्डी जयपुर, हाल उप निरीक्षक रेल्वे सुरक्षा बल चौकी कनकपुरा उत्तर पश्चिम रेल्वे जयपुर। के विरुद्ध उपरोक्त धारा में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन श्रीमान की सेवा में प्रेषित है।

(चित्रगुप्त महावर)

उप अधीक्षक पुलिस
स्पेशल इन्वेस्टीगेशन विंग,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
राजस्थान जयपुर।

कार्यवाही पुलिस


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री चित्रगुप्त महावर, उप अधीक्षक पुलिस, एस.आई.डब्ल्यू. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में अभियुक्त श्री सुनील कुमार, उप निरीक्षक, रेल्वे सुरक्षा बल चौकी कनकपुरा, उत्तर पश्चिम रेल्वे, जयपुर के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 08/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार जारी की गई।


12.1.2022
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 67-71 दिनांक 12.1.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. महानिरीक्षक, आरपीएफ, उत्तर पश्चिम रेल्वे, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.डब्ल्यू. जयपुर।


12.1.2022
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।